



उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि०

29, आई.आई.ई.सहस्रधारा रोड, (आई.टी.पार्क) देहरादून।

फोन- 0135-2708100, 2608092,

फैक्स - 0135-2708109 वेबसाइट:- www.siidcul.com

पत्र सं०:- 423 / म0प्र0 / सिडकुल / 2021

दिनांक:- 01 जुलाई, 2021

कार्यालय आदेश

पत्रावलियों के अवलोकन से यह संज्ञान में आया है कि कतिपय पत्रावलियों में सम्बन्धितों द्वारा कार्यवाही एक से डेढ़ वर्ष विलम्ब से की गयी है। जिससे सिडकुल की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। उक्त विलम्ब कार्मिकों के कार्यों के प्रति घोर लापरवाही दर्शाता है। प्रबन्ध निदेशक द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की गयी है।

अतः इस संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में क्षेत्रीय स्तर पर सात दिन के अन्दर पत्रावलियों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा तथा मुख्यालय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त पत्रावली को किसी भी पटल में 03 कार्य दिवस से अधिक लम्बित नहीं रखा जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
महाप्रबन्धक।

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक को प्रबन्ध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक/कम्पनी सचिव, सिडकुल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपमहाप्रबन्धक (वाणिज्य)/आर्किटेक्ट प्लानर/प्रबन्धक (लेखा) को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक को उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
महाप्रबन्धक।